

**राजस्थान सरकार**  
**चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग**

क्रमांक: प. 1(12)एम.ई. / ग्रुप-1 / 1996

जयपुर, दिनांक: 6-4-2017

**आदेश**

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर की अनुशंषा पर महामहिम राज्यपाल महोदय निम्नांकित अभ्यर्थियों को वरिष्ठ प्रदर्शक, पैथोलोजी के पद पर वेतन श्रृंखला 15600-39100(ग्रेड-पे रु 5400/-) में वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1(2)एफडी/रूल्स/06 दिनांक 13.03.2006 एवं क्रमांक एफ. 14(1)एफडी/रूल्स/2013 पार्ट दिनांक 08.06.2015 के अनुसार निर्धारित दरों पर नियत पारिश्रमिक रूपये 22,180 /प्रतिमाह की दर पर तथा वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1(2)एफडी/रूल्स/06 दिनांक 03.07.2014 के तहत अस्थाई रूप से एक वर्ष के परिवीक्षाकाल पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उनके नाम के सम्मुख अंकित मेडिकल कॉलेज में नियुक्ति प्रदान करते हैं :-

क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम व पता	मेरिट संख्या	जन्म तिथि	वर्ग	पदस्थापन स्थान
1.	डॉ० मीना माहेश्वरी पत्नी डॉ० दिलीप माहेश्वरी, 135, विवेकानन्द नगर, कोटा- 324005	04	29.08.1976	सामान्य, महिला	मेडिकल कॉलेज कोटा
2.	डॉ० दीपक माहेश्वरी पुत्र श्री लालचन्द माहेश्वरी, मंगल मार्बल डिपो, रोडवेज बस स्टेण्ड के सामने, तह. फागी जिला-जयपुर	13	14.04.1985	सामान्य	मेडिकल कॉलेज कोटा
3.	डॉ० लक्ष्मी अग्रवाल पत्नी श्री मनमोहन अग्रवाल 1620 ए. आर. के. पुरम बी.एस.एन.एल. सर्किल के पास, कोटा-324010	16	09.09.1978	सामान्य, महिला	मेडिकल कॉलेज कोटा
4.	डॉ० अपूर्वी दुबे पत्नी श्री तूहिन दुबे, 160 शान्ति प्रिया नगर, चौपनी रोड जोधपुर-342008	28	01.02.1983	सामान्य, महिला	मेडिकल कॉलेज जोधपुर
5.	डॉ० मनीष कुमार सिंघल पुत्र श्री विनोद सिंघल ए-12 बजाज नगर अपार्टमेन्ट बजाज नगर जयपुर।	30	03.05.1984	सामान्य	मेडिकल कॉलेज जोधपुर
6.	डॉ० कृतिका शर्मा पत्नी डॉ० रवि पारीक 363- निर्माण नगर- एबी, जनपथ अजमेर रोड जयपुर- 302019	61	22.02.1986	सामान्य महिला	मेडिकल कॉलेज उदयपुर
7.	डॉ० सोनिया तंवर पत्नी श्री प्रदीप वर्मा, ए-357 चन्द्रवरदायी नगर, अजमेर (राज.)।	66	13.12.1984	अजा. महिला	मेडिकल कॉलेज अजमेर
8.	डॉ० हेमलता सैनी पत्नी श्री सुरेश कुमार सैनी पैथोलोजी विभाग, जे.एल.एन. मेडिकल कॉलेज, अजमेर (राज.)।	78	09.09.1988	पिछड़ा वर्ग महिला	मेडिकल कॉलेज जोधपुर
9.	डॉ० रवि कुमार कन्नोजिया पुत्र श्री अशोक कुमार 6-डब्ल्यू-824 कुडी भगतासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर-342005	88	26.06.1990	अजा.	मेडिकल कॉलेज जोधपुर

2  
5/4/17


उपरोक्त पदों पर नियुक्ति राजस्थान चिकित्सा सेवा (कॉलेज शाखा) नियम, 1962 की पद्धति एवं प्रावधान, शर्तों, सेवा नियमों व राज्य सरकार के द्वारा समय-समय पर इस संबंध में जारी आदेशों के अनुसार ही शासित होगी।

यह नियुक्ति कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र/आदेश संख्या प.8(1)कार्मिक/क-2/2003 दिनांक 06.09.2003 व वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.15(7)वित्त/नियम/97 दिनांक 14.01.2004 एवं वित्त (नियम) विभाग के अनुबोधक (Memorandum) क्रमांक 13(1)वित्त/नियम/2004 दिनांक 27.03.2004 के अनुसार अंशदायी पेंशन योजना के अन्तर्गत होगी एवं वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.6(5)वित्त/नियम/2004 दिनांक 27.07.2004 के अनुसार चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति दावे शासित होंगे।

उपरोक्त चिकित्सकों के चरित्र सत्यापन करा लिया गया है। चिकित्सकों की जन्मतिथि उनके सैकेण्डरी स्कूल प्रमाण पत्र (आर.पी.एस.सी. से प्राप्त छाया प्रति के आधार पर) से सत्यापित कर ली गयी है।


इन्हें आदेश जारी होने की तिथि से चार सप्ताह के भीतर पदस्थापित स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा यह आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जायेंगे।

उपरोक्त नियुक्ति सेवा नियमों के अध्यक्षीन निबन्धकों एवं शर्तों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अध्यक्षीन होगी।

आदेश से  
  
(भगवत सिंह)  
शासन उप सचिव

प्रतिलिपी-निम्नांकित का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को उनके पत्रांक प.7(33)भर्ती/गोपनीय/2013-14/210 दिनांक 06.09.2016 के संदर्भ में।
4. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा, जयपुर।
5. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, अजमेर/बीकानेर/जयपुर/जोधपुर/कोटा/उदयपुर।
6. संबंधित अभ्यर्थी को रजिस्टर्ड डाक द्वारा।
7. रक्षित पत्रावली।

  
(महेश व्यास)  
शासन सहायक सचिव